

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
 पीतासीन अधिकारी का नाम सुनी देवत कोवर (अचएडएसए)

वाच सं: 128 सन 2020

अनुरोध :-

1. सुभाष शंभु पुत्र दलीप कुमार जाति जाट निवासी बालकका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. दलीप कुमार पुत्र मनसुल जाति जाट निवासी बालकका तहसील नोहर।
2. भरतसिंह मटोरिया पुत्र दलीप कुमार जाति जाट निवासी बालकका तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जखिदे तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा 89

उपस्थित श्री विठ्ठल कुमार गोदादा अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक 08/09/2020

सक्षेप में तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं कि वादी ने जखिदे अधिवक्ता एवं वाद अनारगत राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा 89 के तहत इत आरक्षण के पुत्र किया गया की रोही भौजा चक 2 कोएम के खाता संख्या 24/25 की कुल 3,39,000 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मनसुल पुत्र देवदाम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की वादी के दादा मनसुल पुत्र देवदाम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मनसुल पुत्र देवदाम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा जाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई महीने कल की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देने को कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये वह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद ठिकी किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के खातेदार कारतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा जाने के अधिकारी है। वादी का वाद ठिकी करमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज-संश्लेषण किया जाकर प्रतिवादीगण को जखिदे सम्मन तालब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दादा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मनसुल पुत्र देवदाम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दादा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तल्पथात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही भौजा चक 2 कोएम के खाता संख्या 24/25 की कुल 3,39,000 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उपस्थित अधिकारी
 नोहर

उक्त भूमि पूर्व में वाली के द्वारा मनकुल पुत्र देदाराम के नाम से राजस्व रिफार्ड में दर्ज थी वाली के द्वारा मनकुल पुत्र देदाराम के देहान्त होने पर बाद विरासत में बाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है।

बाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वाली के पिता है के नाम से दर्ज है वाली के द्वारा मनकुल पुत्र देदाराम के देहान्त होने के बाद विरासत में राजस्व रिफार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण वैतुक सम्पत्ति है जिसमें वाली एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिफार्ड में दर्ज करवा जाने के अधिकारी है।

वाली के बाद जो प्रतिवादी संख्या 1 या 2 ने स्वीकार किया जाकर इकट्ठा पेश किया जा चुका है अर्थात् वाली के बाद के सम्बन्ध में कोई रेटराय नहीं है वाली अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.डी.जे. 1998 पैरा 615 एवं आर.आर.डी. वर्ष 1998 पैरा 248 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी आवेदन काबलकार आधारी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वाली का बाद लिखी करवाया जावे।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वाली ने दादाजई / वैतुक सम्पत्ति का बाद पेश किया है वाली के साथ सबुतों के आधार पर राज्यकर्ता को सुनिश्चित रखते हुए बाद का निस्तारण करवावे।

हमने सम्पत्तियों की बहस सूची पत्रावली का अन्वेषण किया प्रस्तुत रिफार्ड के अनुसार रोली भौजा चक्र 2 क्षेत्र के खाना संख्या 24/25 की कुल 2,38,00,000 भूमि वर्तमान राजस्व रिफार्ड में वाली के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

रोली भौजा चक्र 2 क्षेत्र के खाना संख्या 24 के अनुसार बाद भूमि मनकुल पुत्र देदाराम के नाम से दर्ज है अर्थात् बाद भूमि पूर्व में वाली के द्वारा मनकुल पुत्र देदाराम के नाम से दर्ज है वाली के द्वारा मनकुल पुत्र देदाराम के देहान्त होने के बाद विरासत में बाद भूमि वाली के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिफार्ड में दर्ज हुई है विरासत में भूमि वाली के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण वैतुक सम्पत्ति होने साबित है। वैतुक सम्पत्तिकार अधिनियम की धारा 6/8 के अनुसार वैतुक सम्पत्ति के होने का एक हिस्सा है अर्थात् बाद की सम्पत्ति में पैरों/पैरियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् बाद भूमि में वाली व प्रतिवादी संख्या 1 या 2 बहिष् के मुकदमा के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि बाद भूमि वाली व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिफार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का रेटराय नहीं है।

वाली के बाद जो प्रतिवादी संख्या के द्वारा स्वीकार करने एवं वाली के द्वारा प्रस्तुत सबुत सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों को देखना पर बताना रोली है के आधार पर बाद वाली साबित होने के कारण काबिल लिखी है।

अतः वाली के वाली की प्रतिवादी संख्या 1 या 2 के द्वारा वाली के बाद को स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का रेटराय नहीं होने एवं वाली के द्वारा प्रस्तुत सबुत सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर बाद वाली साबित होने के कारण लिखी किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोली भौजा चक्र 2 क्षेत्र के खाना संख्या 24/25 की कुल 2,38,00,000 भूमि में वाली व प्रतिवादी संख्या 1, 2 दोनों बहिष् के आवेदन काबलकार कोहित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिफार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि पूर्व में वाली के नाम से तो बाद राजस्व रिफार्ड में अंकन किया जावे साथ ही न्यायाधिक अधिनियम अधिनियम पत्र करवे। इसी आशय की पूर्वा लिखी वाली की जाकर साबित मिलान की गई पत्रावली मन्तर से काम की जाकर बाद करणीय तकनीक जाबान साबित प्रकार हो।

निर्णय आज दिनांक 05/09/20 को भी द्वारा लिखाया जाकर बताने इकट्ठा में सुपाया गया।

उपस्थित अधिकारी (राजस्व)
मोहर (सुपरीवेयर)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्दा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुभाष चन्द्र पुत्र दलीप कुमार जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. दलीप कुमार पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. भरतसिंह मटोरिया पुत्र दलीप कुमार जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 128 सन 2020 निर्णय दिनांक- 08/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोवर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सन्बुतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मोजा चक 2 केएम के खाता संख्या 24/25 की कुल 3,39,000 हेक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।



सत्यमेव जयते